भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2663
11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कन्या भ्रूण हत्या

2663 श्री देरेक ओब्राईन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में दर्ज किए गए कन्या भ्रूण हत्या के मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों में उन दर्ज मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनमें अस्पतालों ने अवैध रूप से लिंग-निर्धारण संबंधी परीक्षण किया है;
(ग) क्या सरकार ने बाल लिंगानुपात में कन्याओं की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) नियमों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर स्वास्थ्य विभागों द्वारा किए जा रहे निरीक्षणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुग्नक-II में दी गई है।

(ग) भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022-24 के लिए भारत तथा निवास के आधार पर बड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म के समय लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) 'नमूना पंजीकरण प्रणाली- सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024' (विवरण 16, पृष्ठ-66) में उपलब्ध है। उक्त आंकड़े निम्नलिखित लिंक पर देखे जा सकते हैं:
https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/47152

नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अनुसार, जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात (एसआरबी) वर्ष 2014-16 के दौरान 898 (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं) से बढ़कर वर्ष 2022-24 के दौरान 918 (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं) हो गया है। प्रमुख कार्यकलापों में गर्भाधान-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम के सुदृढ़ कार्यान्वयन तथा जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निरंतर किए जा रहे प्रयास शामिल हैं।

(घ) गर्भाधान-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा गर्भाधान-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम) के अंतर्गत अधिसूचित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समुचित प्राधिकारी तथा जिला समुचित प्राधिकारी, उक्त अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत निरीक्षण करते हैं।

11.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2663 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

वर्ष 2022-2024 के दौरान बच्चों के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत भ्रूण हत्या के मामलों में पीड़ित बालिकाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या				
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2022**	**2023**	**2024**
1	आंध्र प्रदेश	1	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	0	0	3
4	बिहार	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	11	12	18
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	2	1	2
8	हरियाणा	10	1	8
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10	झारखंड	7	0	5
11	कर्नाटक	1	1	3
12	केरल	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	3	10	18
14	महाराष्ट्र	10	3	15
15	मणिपुर	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0
19	ओडिशा	0	0	0
20	पंजाब	7	1	4
21	राजस्थान	6	2	5
22	सिक्किम	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	0	2
24	तेलंगाना	0	1	2
25	त्रिपुरा	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	0	4	4
27	उत्तराखंड	0	1	1
28	पश्चिम बंगाल	0	0	3
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0
32	दिल्ली	2	0	1
33	जम्मू और कश्मीर	1	0	4
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	**61**	**37**	**98**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो)

11.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2663 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक-II

भ्रूण के लिंग की जानकारी देने के लिए पंजीकृत मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या				
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2023**	**2024**	**2025**
1	आंध्र प्रदेश	1	0	1
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	0	0	0
4	बिहार	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	0
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	4	19	5
8	हरियाणा	27	15	64
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10	झारखंड	0	0	4
11	कर्नाटक	3	2	3
12	केरल	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	0	0	0
14	महाराष्ट्र	0	1	0
15	मणिपुर	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0
19	ओडिशा	0	0	0
20	पंजाब	1	2	0
21	राजस्थान	2	6	3
22	सिक्किम	0	0	0
23	तमिलनाडु	8	2	0
24	तेलंगाना	0	0	1
25	त्रिपुरा	0	0	0
26	उत्तराखंड	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	1	0	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0
31	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32	दिल्ली	6	1	2
33	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0
	कुल	**53**	**48**	**83**

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट।
